(125)

<u>Confidential</u>

MEMORANDUM

Minister-in-Charge	Deputy Chief Minister Haryana Labour Department.
Administrative Secretary	Principal Secretary to Govt., Haryana, Labour Department.

Subject: **Annual Administrative Report of the Labour Department, Haryana for the Year 2017.**

The Annual Administrative Report of the Labour Department, Haryana for the Year, 2017 at Annexure 'C' alongwith a review and critique thereon placed at Annexure 'A' and 'B' is submitted for consideration of the Council of Ministers under instructions issued by the Chief Secretary to Government, Haryana vide U.O. No 53/12/81-6PP, dated 02.07.1982.

Prior approval of the Hon'ble Chief Minister has been obtained for placing the matter before the Council of Ministers.

Dated, Chandigarh the 30.12.2019

Vineet Garg

(Vineet Garg)
Principal Secretary to Govt. Haryana,
Labour Department.

(171)

ANNEXURE –A

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT ON THE WORKING OF LABOUR DEPARTMENT, HARYANA FOR THE YEAR, 2017

1. Sh. Pankaj Agarwal, IAS remained posted as Labour Commissioner, Haryana from 01-01-2017 to 31-12-2017.
2. The Administrative Control of the Department remained under Sh. Vijai Vardhan, IAS, Additional Chief Secretary to Government of Haryana from 01-01-2017 to 13-09-2017, Dr. Mahavir Singh, IAS, Principal Sectretary to Government of Haryana from 13-09-2017 to 31-12-2017.
3. During the year under report:-
   a. There were 4 work Stoppages/Lockouts during the year 2017. One work stoppage was resolved successfully, one work stoppage/Lockout was prohibited by the State Government and matter under dispute was reffered to Industrial Tribunal-cum-Labour Court, one work stoppage/lockout continued and one work-stoppage/lockout was prohibited by the State Govt. but management appeared in High Court & High Court granted stay. Matter is under process in the High Court. These work-stoppages affected 2685 workers and resulted in a loss of 178847 mandays. The loss of wages and production was Rs.3.37 Crore and 21.95 crore (Approx.) respectively.
   b. The conciliation officers of the department handled 5405 disputes. Out of these settlements were brought out in 1365 cases. 514 cases were withdrawn, 123 were filed/ rejected and 2831 were sent for adjudication and 572 disputes remained pending at the end of the year.
   c. 565 awards and 25 agreements were pending for implementation at the beginning of the year. 105 awards/ agreements were added during the year under review. Out of these 670 awards and 25 agreements, 44 awards/agreements were got implemented. Thus 626 awards and 25 agreements remained pending for implementation at the end of the Year. As such the percentage of implementation of awards and agreements comes to 6.33%.
   d. 2709 complaints of the workers regarding delayed payment of wages, less payment of wages, termination of services, leave and hours of work etc. were handled by the field staff of the department, of which 2422 were settled to the satisfaction of the workers leaving a balance of 287 complaints pending at the close of the year. As Such 89.40 percentages of complaints have been settled.

(177)

e. There were 6344 establishments employing 50 or more worker. Out of it 1858 industrial establishments had certified Standing Orders. 83 Standing Orders were certified during the year. Thus the number of certified Standing Orders at the end of the year rose to 1941 giving employment to about 297606 workers.

f. At the beginning of the year there were 1675 registered Trade Unions in the State. During the year 28 new unions were registered and no union was de-registered thus at the end of the year the number increased to 1703.

g. 578 new factories were registered and 45 Factories de-registered under the Factories Act, 1948. Thus the total number of registered factories rose to 12528 at the end of the year giving employment to 931929 workers. There occurred 121 accidents in registered factories during the year of which 56 were fatal and 65 were serious in nature.

h. The Punjab shops and Commercial Establishments Act, 1958 remained applicable in whole of the State. The number of shops, commercial establishments, cinemas and hotels etc. were 449659 employing 18,61,364 workers.

i. During the year under review 2663 inspections were conducted under various labour laws. 1572 prosecutions were launched and convictions were obtained in 1504 cases. As a result of it a sum of Rs. 36,43,250 lacs was realised as fine. Warnings after compliance of violations were issued in 943 cases to employer.

j. An amount of Rs. 3028.13 lac has been disbursed to the workers under 22 Welfare Schemes of Haryana Labour Welfare Board during the year 2017 out of which an amount of Rs. 739.00 Lac was disbursed to the dependents/widows of deceased industrial workers and an amount of Rs. 550.29 lac has been spent under 'Kanyadaan Scheme' as Kanyadaan for self marriage in case of female workers and for the marriage of daughters of industrial workers. 1079 workers have been benefitted under Kanyadaan scheme.

k. The Haryana Building and Other Construction Workers Welfare Board has come into force w.e.f. 02.11.2006. The Board is running various schemes for the welfare of building and other construction workers in the State like Finanacial Assistance for Education, Maternity, Marriage Assistance (Kanyadaan), Tools, Cycle, Financial Assistance in case of Accidental and Natural Death, Old age pension, Disability pension, Financial Assistance for Disabled Children etc., Special Financial Assistance for Women Construction Worker under the scheme Mukhya Mantri Mahila Sharmik Samman Yojna and Sewing machine is also being provided by the Board. In addition to these schemes the registered construction workers are also being provided health facilities at the work site through the Health Department, facilities of Mobile Toilets, Mobile Creche and Labour shed at Labour Chowks of the

178

important towns of the State. The funds collected as cess is primarily utilized for the welfare of registered Building and Other Construction Workers. An amount of Rs. 119.79 Crore have been spent for extending benefits to 1,32,217 beneficiaries on welfare schemes during the period 1st January, 2017 to 31st December, 2017. However the cess amount of Rs. 337.55 crore was collected during the calendar year 2017.

Date:- 30.12.2019

Vineet Garg

(Vineet Garg)
Principal Secretary to Government Haryana,
Labour Department.

ANNEXURE-'B'

CRITIQUE ON THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE LABOUR DEPARTMENT FOR THE YEAR-2017.

During the year under report the working of the Labour Department remained satisfactory. There were 4 work Stoppages/Lockouts during the year 2017. One work stoppage was resolved successfully, one work stoppage/Lockout was prohibited by the State Government and matter under dispute was reffered to Industrial Tribunal-cum-Labour Court, one work stoppage/lockout continued and one work-stoppage/lockout was prohibited by the State Govt. but management appeared in High Court & High Court granted stay. Matter is under process in the High Court. These work-stoppages affected 2685 workers and resulted in a loss of 178847 mandays. The loss of wages and production was Rs.3.37 Crore and 21.95 crore (Approx.) respectively.

The work relating to implementation of labour laws was also satisfactory. During the year 2663 inspections were conducted and in 1572 cases, prosecutions proceedings were launched. Convictions were obtained in 1504 cases and as a result of it a sum of Rs.36,43,250 /- were realised as a fine.

An amount of Rs. 3028.13 lac has been disbursed to the workers under 22 Welfare Schemes of Haryana Labour Welfare Board during the year 2017 out of which an amount of Rs. 739.00 Lac was disbursed to the dependents/widows of deceased industrial workers and an amount of Rs. 550.29 lac has been spent under 'Kanyadaan Scheme' as Kanyadaan for self marriage in case of female workers and for the marriage of daughters of industrial workers. 1079 workers have been benefitted under Kanyadaan scheme.

The Haryana Building and Other Construction Workers Welfare Board has come into force w.e.f. 02.11.2006. The Board is running various schemes for the welfare of building and other construction workers in the State like Finanacial Assistance for Education, Maternity, Marriage Assistance (Kanyadaan), Tools, Cycle, Financial Assistance in case of Accidental and Natural Death, Old age pension, Disability pension, Financial Assistance for Disabled Children etc., Special Financial Assistance for Women Construction Worker under the scheme Mukhya Mantri Mahila Sharmik Samman Yojna and Sewing machine is also being provided by the Board. In addition to these schemes the registered construction workers are also being provided health facilities at the work site through the Health Department, facilities of Mobile Toilets, Mobile Creche and Labour shed at Labour Chowks

(180)

of the important towns of the State. The funds collected as cess is primarily utilized for the welfare of registered Building and Other Construction Workers. An amount of Rs. 119.79 Crore have been spent for extending benefits to 1,32,217 beneficiaries on welfare schemes during the period 1st January, 2017 to 31st December, 2017. However the cess amount of Rs. 337.55 crore was collected during the calendar year 2017.

Date:- 30.12.2019

Vineet Garg

(Vineet Garg)
Principal Secretary to Government Haryana,
Labour Department.

अनुबन्ध "अ"

समीक्षा

श्रम विभाग, हरियाणा की वर्ष 2017 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

1. दिनांक 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक श्री पंकज अग्रवाल, आई.ए.एस., श्रम आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ में कार्यरत रहे।
2. विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण दिनांक 1 जनवरी, 2017 से 13 सितम्बर, 2017 तक श्री विजय वर्धन, आई.ए.एस., अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, दिनांक 13 सितम्बर, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक डॉ0 महावीर सिंह, आई.ए.एस., प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार के पास रहा।
3. इस वर्ष की रिपोर्ट का वर्णन निम्न प्रकार है:—

क) वर्ष 2017 के दौरान हड़ताल/तालाबन्दी के 4 केस हुए, जिसमें से एक का निपटान कर दिया गया है, एक कार्यबन्दी/तालाबन्दी पर सरकार द्वारा रोक दी गई है और मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण एंव श्रम न्यायलाय के अधीन है, एक कार्यबंदी/तालाबन्दी जारी है तथा एक कार्यबन्दी/तालाबन्दी राज्य सरकार द्वारा निषेद्ध कर दी गई थी परन्तु प्रबन्धक उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हो गये और उच्च न्यायालय द्वारा मामला स्थगित कर दिया गया है, मामला न्यायालय के अधीन है। इन कार्यबन्दियों/तालाबन्दियों के कारण 2685 श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा और 178847 श्रम दिवसों की क्षति हुई है। मजदूरी तथा उत्पादन क्षति कमशः 3.37 करोड़ रूपये तथा 21.95 करोड़ रुपये (अनुमानित) हुई है।

ख) समझौता अधिकारियों ने 5405 केसों को डील किया, जिनमें से 1365 मामलों में समझौता करवाया गया। 514 मामले वापिस लिये गये, 123 मामले रद्द व फाईल किये गये तथा 2831 विवाद अदालती निर्णय के लिए भेजे गये। अतः वर्ष के अन्त में 572 मामले लम्बित रहे।

ग) वर्ष के आरम्भ में 565 पंचाट तथा 25 समझौते परिपालना हेतु लम्बित थे वर्ष के दौरान 105 पंचाट/समझौते प्राप्त हुये। कुल 670 पंचाट तथा 25 समझौतों में से 44 पंचाट/समझौते लागू करवाये गये। इस प्रकार वर्ष के अन्त में 626 पंचाट तथा 25 समझौते परिपालना के लिए लम्बित रहे। पंचाट की परिपालना कमशः 6.33 प्रतिशत रही।

घ) इसके अतिरिक्त विभाग के क्षेत्रीय स्टाफ ने श्रमिकों को देरी से वेतन देने, कम वेतन देने, नौकरी से हटाने तथा काम के घण्टों आदि से सम्बन्धित 2709 शिकायतों पर कार्यवाही की तथा 2454 शिकायतों का श्रमिकों की सन्तुष्टी अनुसार

(182)

निपटारा करवाया गया। 287 शिकायते वर्ष के अन्त मे लम्बित रही। इस प्रकार शिकायतों के निपटान का प्रतिशत 89.40 रहा।

ड) वर्ष के आरम्भ में 6344 औद्योगिक संस्थायें आवर्णित थी, जहां 50 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते थे। वर्ष के आरम्भ में 1858 औद्योगिक संस्थांओं में स्थाई आदेश प्रमाणित थे। वर्ष के दौरान 83 स्थाई आदेश प्रमाणित किये गये। इस प्रकार रिपोर्ट की अवधि के अन्त में 1941 संस्थाओं के पास प्रमाणित स्थाई आदेश थे, जिनमें लगभग 297606 श्रमिक कार्य करते थे।

च) वर्ष के आरम्भ में 1675 यूनियन पंजीकृत थी तथा 28 नई यूनियन पंजीकृत की गई तथा कोई यूनियन अपंजीकृत नही हुई। इस प्रकार वर्ष के अन्त में इनकी संख्या बढ़ कर 1703 हो गई।

छ) इस अवधि के दौरान 578 नये कारखाने कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये तथा 45 कारखाने अपंजीकृत किये गये। इस प्रकार वर्ष के अन्त में पंजीकृत कारखानों की संख्या बढ़कर 12528 हो गई। इन पंजीकृत कारखानों में 931929 श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। वर्ष के दौरान पंजीकृत कारखानों में 121 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 56 घातक तथा 65 गम्भीर थी।

ज) पंजाब दुकानात तथा वाणिज्य संस्थापना अधिनियम, 1958 पूरे राज्य में लागू रहा। वर्ष 2017 तक दुकानों, वाणिज्यक संस्थापनाओं, सिनेमा एवं होटल आदि की सख्यां 4,49,659 रही। जिनमें 18,61,364 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया हुआ हैं।

झ) समीक्षा अधीन वर्ष के दौरान विभिन्न श्रम अधिनियमों के अर्न्तगत 2663 निरीक्षण किये गये। 1572 मामलों में चालान दायर किये गए। 1504 मामले दोषपूर्ण सिद्ध हुए जिनके फलस्वरुप 36,43,250 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किये गये तथा 189 मामलों में चेतावनियां दी गई।

ण) हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2017 के दौरान श्रमिकों के कल्याण के लिए 22 कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 3028.13 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। जिसमें से 739.00 लाख रूपये मृतक श्रमिकों के आश्रितों एवं विधवाओं को वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किये गये तथा 550.29 लाख रूपये कन्यादान योजना के तहत महिला श्रमिकों की स्वयं की शादी या श्रमिकों की लड़कियों की शादी हेतू कन्यादान के रूप में प्रदान किये गये। कन्यादान योजना के तहत 1079 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया।

त) हरियाणा भवन और अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड दिनांक 02.11.2006 से अस्तित्व में आया है। बोर्ड द्वारा राज्य में भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेूत विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जैसे कि शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, मात्तृव, शादी (कन्यादान) सहायता, औजार, साईकिल, दुर्घटना

183

एवं प्राकृतिक मृत्यु के लिए वित्तीय सहायता, बुढ़ापा पैशन, अपंगता पैंशन, अपंग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता इत्यादि। पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के अन्तर्गत विशेष वित्तीय सहायता एवं सिलाई मशीन भी बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है और राज्य के मुख्य कस्बों/शहरों में श्रमिको के लिए लेबर चौक पर लेबर शैड, मोबाईल कैच की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। सैस के रूप में एकत्रित की गई राशि प्रमुखतः भवन एवं सन्निर्माण में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याण के लिए उपयोग की जाती है। बोर्ड द्वारा 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर 2017 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 1,32,217 लाभार्थियों पर 119.79 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है। बोर्ड द्वारा वर्ष 2017 में 337.55 करोड़ रूपये सैस एकत्रित किया गया है।

विनीत गर्ग

दिनांक :- 30.12.2019

(विनीत गर्ग)
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

अनुबन्ध "ब"

श्रम विभाग, हरियाणा की वर्ष 2017 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट पर समालोचना।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान श्रम विभाग का कार्य संतोषजनक रहा। वर्ष 2017 के दौरान हड़ताल/तालाबन्दी के 4 केस हुए, जिसमें से एक का निपटान कर दिया गया है, एक कार्यबन्दी/तालाबन्दी पर सरकार द्वारा रोक दी गई है और मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण एंव श्रम न्यायलाय के अधीन है, एक कार्यबंदी/तालाबन्दी जारी है तथा एक कार्यबन्दी/तालाबन्दी राज्य सरकार द्वारा निषेद्ध कर दी गई थी परन्तु प्रबन्धक उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हो गये और उच्च न्यायालय द्वारा मामला स्थगित कर दिया गया है, मामला न्यायालय के अधीन है। इन कार्यबन्दियों/तालाबन्दियों के कारण 2685 श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा और 178847 श्रम दिवसों की क्षति हुई है। मजदूरी तथा उत्पादन क्षति क्रमशः 3.37 करोड़ रूपये तथा 21.95 करोड़ रुपये (अनुमानित) हुई है।

श्रम अधिनियमों के अर्न्तगत परिपालना का कार्य सन्तोषजनक रहा। वर्ष के दौरान 2663 निरीक्षण किये गये तथा 1572 मामलों में चालान दायर किये गये। 1504 मामलों में दोष सिद्धियां प्राप्त की, जिसके फलस्वरुप 36,43,250/– रूपये जुर्माने के रूप में वसूल किये गये।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2017 के दौरान श्रमिकों के कल्याण के लिए 22 कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 3028.13 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। जिसमें से 739.00 लाख रूपये मृतक श्रमिकों के आश्रितों एवं विधवाओं को वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किये गये तथा 550.29 लाख रूपये कन्यादान योजना के तहत महिला श्रमिकों की स्वयं की शादी या श्रमिकों की लड़कियों की शादी हेतू कन्यादान के रूप में प्रदान किये गये। कन्यादान योजना के तहत 1079 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया।

हरियाणा भवन और अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड दिनांक 02.11.2006 से अस्तित्व में आया है। बोर्ड द्वारा राज्य में भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों के कल्याण हूेत विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जैसे कि शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, मात्तृव, शादी (कन्यादान) सहायता, औजार, साईकिल, दुर्घटना एवं प्राकृतिक मृत्यु के लिए वित्तीय सहायता, बुढ़ापा पैशन, अपंगता पैंशन, अपंग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता

(185)

इत्यादि। पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के अन्तर्गत विशेष वित्तीय सहायता एवं सिलाई मशीन भी बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है और राज्य के मुख्य कस्बों/शहरों में श्रमिको के लिए लेबर चौक पर लेबर शैड, मोबाईल कैच की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। सैस के रूप में एकत्रित की गई राशि प्रमुखतः भवन एवं सन्निर्माण में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याण के कल्याण के लिए उपयोग की जाती है। बोर्ड द्वारा 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर 2017 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 1,32,217 लाभार्थियों पर 119.79 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है। बोर्ड द्वारा वर्ष 2017 में 337.55 करोड़ रूपये सैस एकत्रित किया गया है।

दिनांक:- 30.12.2019

विनीत गर्ग

(विनीत गर्ग)
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

18

गोपनीय

ज्ञापन

कार्यभारी मंत्री

उप मुख्य मंत्री, हरियाणा,
श्रम विभाग।

प्रशासकीय सचिव

प्रधान सचिव, श्रम हरियाणा,
सरकार, श्रम विभाग।

विषयः— **श्रम विभाग, हरियाणा की वर्ष 2017 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट।**

श्रम विभाग, हरियाणा की वर्ष, 2017 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट अनुबन्ध 'स' पर अनुबन्ध 'अ' तथा 'ब' पर इसकी समीक्षा एवं समालोचना सहित मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के अशाः क्रमांक 53/12/81–6पी0पी0, दिनांक 02.07.1982 द्वारा जारी की गई हिदायतों अनुसार मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

इस मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने के लिए मुख्य मंत्री महोदय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

विनीत गर्ग

(विनीत गर्ग),
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

दिनांक, चण्डीगढ
30.12.2019

LABOUR DEPARTMENT / श्रम विभाग

उत्पादकता एवं सामाजिक न्याय
Productivity with Social Justice
LABOUR DEPARTMENT HARYANA
शान्ति सामंजस्य एवं सुरक्षा
Peace, Harmony and Safety

॥ बदलता हरियाणा-बढ़ता हरियाणा ॥

0172)- 2701373 Fax: (0172)-2701266 दूरभाष : 91 (0172) 2701373 फैक्स: 0172-2701266
e-mail : labourcommissioner@hry.nic.in

Annexure-C/अनुबन्ध- स

श्रम विभाग हरियाणा के कार्य पर 31.12.2017 को समाप्त होने वाले वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट।

1. परिचय

श्रम विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक शांति बनाए रखना तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों की प्रभावशाली ढंग से परिपालना करते हुए श्रमिकों तथा नियोजकों के मध्य सदभावना बनाए रखना है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रम विभाग हरियाणा के कार्य सम्बन्धी गतिविधियों तथा उपलब्धियों का उल्लेख वर्ष 2017 की प्रशासनीय रिपोर्ट में निम्न प्रस्तुत है।

2 विभाग प्रशासनः–

दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक श्री पंकज अग्रवाल, आई.ए.एस., श्रम आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ में कार्यरत रहे।

इस कथित अवधि के दौरान विभिन्न अधिनियमों के तहत निरीक्षण के लिए समक्ष प्राधिकारी रहेः–

1.	कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मुख्य निरीक्षक कारखाना।
2.	मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत मुख्य निरीक्षक।
3.	पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम,1965 के अन्तर्गत कल्याण आयुक्त।
4.	व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार।
5.	आंकड़े एकत्र करनें के अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत प्राधिकारी।
6.	ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत पंजीकरण एवं लाईसैन्सिग अधिकारी।
7.	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2–ए के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी।

उपरोक्त कार्य को सफलता पूर्वक चलाने के लिये श्रम आयुक्त की सहायता हेतू मुख्यालय तथा क्षेत्र में निम्नलिखित अमला कार्यरत रहे :–

मुख्यालय पर नियुक्त श्रम विंग का अमला

क0 सं0	पद संज्ञा	पदो की सख्यां	कार्यरत	रिक्त	टिप्पणी
1.	अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशासन)	1	1	—	
2	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	1	1	—	
3.	संयुक्त श्रम आयुक्त	1	1	—	
4.	उप श्रम आयुक्त,	1	1	—	
5.	सम्पादक	1	—	1	
6.	लेखा अधिकारी	1	1	—	
7.	आंकड़ा अधिकारी	1	—	1	
8.	श्रम कल्याण अधिकारी	1	—	1	
9.	उप जिला न्यायवादी	1	—	1	
10.	सहायक जिला न्यायवादी	1	1	—	
11.	कार्यालय अधीक्षक	1	1	—	
12	श्रम निरीक्षक	1	1	—	

मुख्यालय पर नियुक्त कारखाना विंग का अमला

क0 सं0	पद संज्ञा	पदो की सख्यां	कार्यरत	रिक्त	टिप्पणी
1.	अतिरिक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	1	1	—	
2.	संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	2	1	1	सरकार के स्तर पर लम्बित पदोन्नति केस
3.	उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	2	1	1	
4.	सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	2	2	—	
5.	उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य	1	1	—	

(ख) क्षेत्रिय अमला

क0 सं0	पद संज्ञा	पदो की सख्यां	कार्यरत	रिक्त	टिप्पणी
1.	अतिरिक्त श्रम आयुक्त, गुडगांव	1	1	—	
2.	उप श्रम आयुक्त	8	8	—	
3.	संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	1	1	—	
4.	उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य	2	1	1	
5.	उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	7	7	—	

6.	सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	20	16	4	मांग सरकार को भेजी हुई है।(HPSC)
7.	सहायक निर्देशक औद्योगिक स्वास्थ्य–कम–सर्टीफाईग सर्जन	5	5	–	
8.	सहायक निदेशक,औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (कैमीकल)	5	4	1	
9.	सहायक श्रम आयुक्त	31	18	13	मांग सरकार को भेजी हुई है।(HPSC)
10	कल्याण अधिकारी (महिला)	2	2	–	
11	श्रम निरीक्षक	87	65	22	रिक्त पदो को भरने हेतू मांग पत्र(HPSC) को भेजा हुआ है।

2–1 नियुक्तियां/पदोन्नतियां (क) नियुक्तियां

क0 स0	पद संज्ञा	पदों की सख्या
1.	सहायक निदेशक	–
2.	सहायक निदेशक (कैमिकल)	–
3.	उप निदेशक औद्योगिक स्वास्थ्य	2
4.	श्रम तथा समझौता अधिकारी	2
5.	श्रम निरीक्षक	–
6.	लिपिक तथा आशु टंकण	1
7.	सेवादार	–
8.	ड्राफटसमैन	–
9.	चौकीदार	–
10.	जमादार	–
11.	कार्टोग्राफर	–
12.	वरिष्ठ आशुलिपिक	–
13.	कनिष्ठ आशुलिपिक	–
14.	आशुलिपिक	–
15.	ड्राईवर	–
16.	जजमैंट राईटर	–

(ख) पदौन्नतियां

1	संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	1
2	उप श्रम आयुक्त	2
3	उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	2
4	सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य,	–
5	सहायक श्रम आयुक्त	2
6	कल्याण अधिकारी(महिला)	–
7	उप अधीक्षक	–
8	श्रम निरीक्षक	8

9	आकंडा सहायक	–
10	सहायक	–
11	रीडर	–

3. विभिन्न अधिनियम

श्रम विभाग द्वारा राज्य में निम्नलिखित केन्द्रीय/राज्य विधानों के श्रम अधिनियमों की परिपालना करवाई गई :–

(क) केन्द्रीय विधान

1.	कारखाना अधिनियम, 1948
2.	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
3.	मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
4.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
5.	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
6.	व्यवसाय संघ अधिनियम 1926
7.	औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम,1946
.8.	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम,1961
9.	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961
10.	बाल श्रमिक, (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986
11.	बोनस संदाय अधिनियम, 1965
12..	श्रमिक पत्र कार,(वेतन नियत करनें का) अधिनियम, 1965
13.	श्रमिक पत्रकार(सेवाओं तथा उपबन्धों की शर्त) अधिनियम, 1965
14.	उपदान संदाय अधिनियम,1972
15.	बन्धित श्रम पद्वति (उत्सादन) अधिनियम,1976
16.	समान पारिश्रमिक अधिनियम,1976
17.	ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम ,1970
18.	अन्तर्राज्य प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979
19.	विक्रय संवर्द्वन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976
20.	भवन और राज्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1996.
21.	सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 1953
22.	श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय संस्थानों को छूट)अधिनियम, 1988.

(ख) राज्य विधान

1	पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958.
2	पंजाब औद्योगिक स्थापना और उत्सव अवकाश तथा आकस्मिक बीमारी छुट्टी अधिनियम, 1965.
3	पंजाब श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम,1965.

(ग) विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत किए गए निरीक्षण एवं चालान आदि का विवरण:–

विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत किये गये निरीक्षण/चालान, दोष सिद्धियॉ,

दी गई चेतावनियॉ तथा विभिन्न अपराधों के कारण वसूली/जुर्मानों का विवरण निम्नलिखित है:—

क्र0 सं0	अधिनियम का नाम	निरीक्षण	चालान	दोष सिद्धियॉ	दी गई चेतावनियां	उल्घंनायें	वसूली जुर्माना (रूपये)
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	439	695	618	—	230	2910000
2.	वेतन अदायगी अधिनियम, 1936	215	43	36	29	99	64000
3.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	223	645	639	30	126	180700
4	पंजाब दुकानात तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958	311	36	59	21	33	64300
5	पंजाब औद्योगिक संस्थान (राष्ट्रीय व त्योहार तथा आकस्मिक व बिमारी की छुटटी) अधिनियम, 1965	218	28	33	11	71	44800
6.	बोनस अदायगी अधिनियम, 1965	159	22	13	22	44	12200
7.	पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम,1965	30	8	4	1	14	36500
8.	मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961	14	2	—	—	5	—
9.	समानता वेतन अधिनियम,1976	186	19	22	5	43	82400
10	प्रसूति सुविधा अधिनियम,1961	—	—	—	—	—	—
11.	ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम ,1970	247	37	41	32	208	101600
12	बाल श्रमिक अधिनियम (प्रतिषेध तथा विनियमन), 1986	375	7	2	19	21	16000
13.	अन्तर्राज्य प्रवासी श्रमिक (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम 1979	73	21	24	2	20	21650
14.	उपदान संदाय अधिनियम, 1972.	167	9	12	16	30	87500
15.	अन्य	6	—	1	1	—	—
	कुल योग	2663	1572	1504	189	944	3621650

(घ) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतें तथा उनका निपटान का विवरण :–

क्र. स.	वर्ष के आरम्भ में लम्बित शिकायतें	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	वर्ष के अन्त में लम्बित शिकायतें
1.	255	2454	2422	287

श्रमिकों से वर्ष 2017 के दौरान कम वेतन मिलने, वेतन देरी से देने, बोनस, छंटनी करने व ओवर टाईम ना देने बारे इत्यादि की उपरोक्त शिकायतें प्राप्त हुई थी।

4. औद्योगिक सम्बन्ध :–

(क) श्रम विभाग का वर्ष 2017 का कार्य संतोषजनक रहा। विभागीय समझौता अधिकारियों ने 4 कार्यबन्दियों/तालाबन्दी में हस्तक्षेप किया जिसमें से एक का निपटान कर दिया गया है, एक कार्यबन्दी/तालाबन्दी पर सरकार द्वारा रोक दी गई है और मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण एंव श्रम न्यायलाय के अधीन है, एक कार्यबंदी/तालाबन्दी जारी है तथा एक कार्यबन्दी/तालाबन्दी राज्य सरकार द्वारा निषेद्ध कर दी गई थी परन्तु प्रबन्धक उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हो गये और उच्च न्यायालय द्वारा मामला स्थगित कर दिया गया है, मामला न्यायालय के अधीन है। निहित श्रमिक संख्या, श्रमिक दिनों की क्षति तथा जिन विवादों पर कार्यवाही की गई एवं जिनमें समझौता करवाया गया, का विवरण निम्न प्रस्तुत तालिका एक व दो में दिया गया हैं :–

तालिका एक– कार्यबन्दियां

वर्ष	पूर्व वर्ष से चली आ रही कार्यबन्दियॉं/तालाबन्दियां	वर्ष के दौरान हुई कार्यबन्दियॉं/तालाबन्दियां	कुल कार्यबन्दियॉं/तालाबन्दियां	श्रमिक दिनों की क्षति	वेतन क्षति (अनुमानित)	उत्पादन क्षति (अनुमानित)	निहित श्रमिक संख्या
2016	1	1	2	78098	4.91 करोड़	15.14 करोड़	844
2017	1	3	4	178847	3.37 करोड़	21.95 करोड़	2685

तालिका –दो औद्योगिक विवाद

वर्ष	विवादों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई	धारा 12(3) तथा 18(1) के अन्तर्गत समझौता	युनियन / श्रमिकों द्वारा वापिस ले लिये गये विवादों की संख्या	रदद / फाईल किये गये विवादों की सख्यां	न्यायिक निर्णय के लिये भेजे गये विवादो की सख्यां	मध्य– स्थता विवादों की सख्यां / स्थानांतरण के लिये भेजे गए	वर्ष के अन्त में लम्बित विवादों की सख्यां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8
2016	4358	1072	388	206	2170	–	522
2017	5405	1365	514	123	2831	–	572

(ख) श्रम अदालतें:–

जो औद्योगिक विवाद किसी कारणवश आपसी बात–चीत से सुलझायें नहीं जा सके या श्रम विभाग के समझौता अधिकारी किसी कारण से विवाद सुलझानें में असफल रहे तो विवाद की असफलता रिपोर्ट सरकार को भेजी जाती हैं। इस के उपरान्त सरकार उचित मामलों को औद्योगिक न्यायाधिकरण एंव श्रम न्यायलायो को न्यायनिर्णय हेतू भेजती है। राज्य में 9 औद्योगिक न्यायधिकरण एवं श्रम न्यायालय स्थापित हैं। इन 9 श्रम न्यायालयों में से तीन फरीदाबाद में, दो गुड़गांव तथा एक–एक रोहतक, अम्बाला, हिसार, तथा पानीपत में स्थापित हैं, जिनका कार्य वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है।

औद्योगिक न्यायधिकरण एवं श्रम न्यायालयों द्वारा वर्ष 2017 के दौरान किये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार हैं :–

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में लम्बित विवादों की संख्या–विविध प्रार्थना–पत्र तथा धारा (33)सी(2) इत्यादि से सम्बन्धित	वर्ष के दौरान प्राप्त विवादों की संख्या (मामलों सहित)	वर्ष के दौरान निपटाये गये विवादों की संख्या (मामलों सहित)	वर्ष के अन्त में लम्बित विवादों की संख्या
2016	5746	3890	3030	6606
2017	6606	3007	2880	6733

(ग). बैठकी /छंटनी/कलोजर

इस वर्ष किसी भी 02 संस्थापना में 206 श्रमिक को भिन्न–2 अवधि के लिए ले–ऑफ किया गया। वर्ष के दौरान किसी भी संस्था में किसी भी श्रमिक की छंटनी नही की तथा एक संस्थापना बन्द हुई है।

(ड़) पंचाटों / समझौतों की परिपालना

वर्ष के आरम्भ में परिपालना के लिये 565 पंचाट एवं 25 समझौंते लम्बित थे। वर्ष के दौरान 105 पंचाट/ आदेश प्राप्त हुये। इस प्रकार 670 पंचाट 25 संमझौतों में से 44 पंचाटों/ समझौतों की परिपालना करवाई गई तथा वर्ष के अन्त मे 626 पंचाट तथा 25 समझोंतें परिपालना के लिये लम्बित रह गये।

वर्ष के आरम्भ में 156 प्रबन्धकों से 555023260.30/– रूपये की वसूली होनी शेष थी। वर्ष के दौरान 02 प्रबन्धको से 235275.00/– रुपये की वसूली के केस प्राप्त हुए। इस प्रकार वर्ष के अन्त में 158 प्रबन्धकों से 555258535.30/–रूपये की वसूली लम्बित रही।

(च) स्थाई आदेश

इस वर्ष औद्योगिक रोजगार स्थाई आदेश अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत लगभग 6344 औद्योगिक संस्थापनायें आवर्णित थी, जिनमें श्रमिकों की औसतन दैनिक संख्या 7,93,351 थी। वर्ष के आरम्भ में 1858 ऐसी संस्थापनाओं में स्थाई आदेश प्रमाणित थे, जिनमें दैनिक औसतन श्रमिक संख्या 2,86,313 थी। वर्ष के दौरान 83 संस्थापनाओं में स्थाई आदेश प्रमाणित किये गये व 03 संस्थापनाओं के आवेदन रद्द कर दिये गये। जो वर्ष 2017 के अन्त में बढ़ कर क्रमशः 1941 तथा 2,97,606 हो गई।

इस वर्ष के आरम्भ में 39 आवेदन पत्र लम्बित थे। वर्ष के दौरान 76 प्रार्थना पत्र और प्राप्त हुये। इन 115 प्रार्थना पत्रों में से 86 का निपटारा वर्ष के दौरान करवा दिया गया। इस प्रकार वर्ष के अन्त में 29 प्रार्थना पत्र लम्बित रहे।

5. व्यापार संघः– व्यापार संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वर्ष के शुरू में 1675 व्यवसाय संघ पंजीकृत थे एवं 28 नये व्यवसाय संघ पंजीकृत किये गये, जिनमें से कोई भी व्यवसाय संघ का पंजीकरण नही किया गया। इस प्रकार वर्ष के अन्त में पंजीकृत व्यवसाय संघों की संख्या बढ़ कर 1703 हो गई।

6. कारखानें

(क) कारखानों में समय व कार्य की शर्तो व अन्य सुविधाओं को नियमित करने दुर्घटनाओं को रोकनें तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा का ध्यान रखनें के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 लागू है।

कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत वर्ष के आरम्भ में 11,995 कारखाने पंजीकृत थे, जिनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या 8,98,466 थी। वर्ष के दौरान 578 नये कारखानें पंजीकृत हुये तथा 45 कारखाने अपंजीकृत हुए। इस प्रकार वर्ष के अन्त में पंजीकृत कारखानों की संख्या बढ़ कर 12,528 तथा कार्यरत श्रमिकों की संख्या 9,31,929 हो गई ।

कारखाना अधिनियम के तहत कारखानों से लाईसैंस फीस की राशि लगभग 25,96,21,051/— रूपये प्राप्त हुई ।

(ख) वर्ष के दौरान विभिन्न पंजीकृत कारखानों में कुल 121 दुघर्टनायें हुई। जिन में से 56 घातक तथा 65 गम्भीर थी। पिछले वर्ष घातक तथा गम्भीर दुर्घटनाओं की संख्या कमशः 62 तथा 70 थी।

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधनः— लघु उद्योगों को सुविधा देने के लिये हरियाणा सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को सरल बनाने हेतु इस संशोधन का प्रस्ताव किया है। संशोधन के उपरान्त/अनुसार 20 श्रमिकों से कम वाले कारखाने (विद्युत शक्ति के साथ) तथा 40 श्रमिकों से कम वाले कारखाने (विद्युत शक्ति के बिना) कारखाना अधिनियम, 1948 के दायरे में नहीं आयेंगे। इस संशोधन में ओवर टाईम कार्य का समय 75 घण्टे से 150 घण्टे बढ़ाने का प्रावधान है। यह संशोधन पहली बार पाई गई उल्लंघनाओं/अपराध को कम्पाउंडिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 हरियाणा विधान सभा में पारित किया गया था जिसको भारत सरकार, माननीय राष्ट्रीय की अनुमति हेतू भेजा गया था परन्तु भारत सरकार ने उक्त बिल पर असहमति प्रकट करते हुये आपत्ति लगाकर वापिस भेज दिया था।

(घ) पंजाब कारखाना नियमों में संशोंधनः— विभिन्न प्रावधानों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और श्रमिकों के कल्याण से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने के लिये उद्यमियों/नियोक्ताओं की सुविधा के लिये सरल बनाया गया है। नए नियमों के अनुसार कारखानों के लाईसेंसे जारी करने/नवीनीकरण का कार्य व उद्यमियों की सुविधा के लिये अन्य विभिन्न सेवाओं को कुल 45 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जायेगा। संशोधित

नियम भी हरियाणा के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना न0: 11/16/2016–4 लैब दिनांक 17.02.2017 को कर दिये गये है।

(ड़) पारदर्शी निरीक्षण प्रणालीः– श्रम विभाग, हरियाणा विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रावधाान, स्वास्थ्य, कल्याण और रोजगार की अन्य शर्तों को लागू करता है। इन अधिनियमों के तहत विभिन्न प्रावधानों की अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये विभाग ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कारखानों के निरीक्षण के लिये विभिन्न पदाधिकारियों को अधिूसचित किया है। निरीक्षण के दिशा निर्देशों में समय–समय पर बदलाव किया गया, परन्तु इनको ठीक से लागू नहीं करवाया जा सका। इसके अतिरिक्त निरीक्षण की परिपालना में कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी। वर्तमान में प्रचलित निर्देश/दिशानिर्देश जो कि निकट भविष्य में सामने लाया जा रहा है वह पूर्ण रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के अनुसार नहीं है। इसलिये नई व्यापक पारदर्शी निरीक्षण नीति दिनांक 01.01.2016 से लागू की गई है। जिसमें सभी हित धारकों से सुझाव तथा टिप्पणियां मांगी गई थी। इन सुझावों को सम्मिलित करने उपरान्त पारदर्शी निरीक्षण नीति का नया प्रारूप सरकार से अनुमोदित हो गया है। यह स्कीम श्रम नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रावधानों की परिपालना प्रोद्यौगिकी तथा नवीनीकरण की सहायता से पारदर्शी रूप से नियंत्रित करेगी। यह स्कीम केवल व्यापार कार्य प्रणाली को ही सरल नहीं बनाएगी बल्कि श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण तथा उनके अधिकारों का संरक्षण भी करेगी। पारदर्शी निरीक्षण नीति निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करेगी :–

i. व्यापार नियमों को सरल बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करना।
ii. विभिन्न श्रम कानूनों के तहत वैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन को विनियमित करने में प्रौद्योगिकी व नई खोज को अपनाने व पादर्शी ढंग से लागू करवाने बारे।
iii. श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा तथा अन्य शर्तों को ध्यान में रखते हुये रोजगार कानूनी रूप से लागू करवाना।
iv. व्यावसायिक संस्थाओं में दुष्टाचरण तथा उत्पीड़न को रोकने तथा व्यापार को सरल बनाने के लिये तथा निरीक्षण अधिकारियों की मनमानी तथा मनमर्जी को रोकने हेतु।

(च) कम जोखिम वाले कारखानों को निरीक्षण की छूट प्रदान करनाः– पारदर्शी निरीक्षण प्रणाली के तहत Ease of doing business तथा राज्य उद्यमी प्रोत्साहन नीति, 2015 के प्रावधानों की अनुपालना के सन्दर्भ में निम्नलिखित श्रेणी के कारखानों को भौतिक निरीक्षण से छूट प्रदान की गई है :–

i. सभी कम जोखिमपूर्ण कारखाने जिसके पास वैध लाईसेंस है, 50 से कम श्रमिक कार्यरत हैं तथा जिसने सैल्फ सर्टीफिकेशन स्कीम का चयन किया है तथा श्रम नियमों की सिंगल रिटर्न जमा की है।

ii. Start-up-Establishment कार्य की शुरूआत के बाद दो साल के लिये)।

iii. जिस व्यवसायिक संस्था में कोई भी श्रमिक कार्यरत न हो (केवल पारिवारिक सदस्य ही कार्यरत हों)।

iv. अन्य कोई व्यवसायिक संस्था जिसको विशेष रूप से सरकार ने छूट प्रदान की हो।

v. एस0ई0जेड0 में कोई भी व्यवसायिक संस्था।

(छ) तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण/ऑडिट योजना :– तृतीय पक्ष निरीक्षण प्रमाणन लेखा परीक्षा योजना को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा अनुमोदित किया गया है और अधिसूचना न0 11/38/2016–4 लैब दिनांक 10.08.2016 द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक संस्थानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों में श्रम कानूनों की प्रकिया को सुलभ एवं सुचारू रूप से लागू कर सके। इस योजना को वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की "व्यापार सुधार नीति 2016–सुगमय व्यापार" की अनुपालना में प्रतिपादित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य व्यापार–नियमन का सरलीकरण, व्यवसीय की सुविधा के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 तथा उसके अन्तर्गत निर्धारित किये गये नियमों की अनुपालना तथा अनावश्यक अधिकारिक निरीक्षण को कम करना है।

(ज) स्वयं प्रमाणित योजनाः– स्वयं प्रमाणित योजना को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा अनुमोदित किया गया है और अधिसूचना नं0 11/39/2016–4 श्रम दिनांक 10.08.2016 द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है। इस स्वयं प्रमाणित योजना का लक्ष्य नियोक्ता या व्यवसायी को जोकि कानूनों की पालना करते हुए अपने श्रमिको और कर्मचारियों के हितों

का ख्याल रखने का इच्छुक है, एक सच्चा, जागरूक तथा कानून का पालन करने वाला बनाना है, श्रम विभाग को श्रमिकों, नियोक्ता तथा व्यवसायी के हितों का ध्यान रखने में सक्षम बनाना है तथा एक अनुकूल, सुरक्षित वातावरण बनाकर नियोक्ता तथा कर्मचारियों के बीच एक रिश्ता बनाना है।

(झ) हरियाणा सिलिकोसिस पुर्नवास नीति– श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा स्टोन क्रेशर, थर्मल विद्युत तथा क्वार्टज ग्राईडिंग यूनिटस के सर्वेक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया गया और इस दौरान 853 स्टोन क्रेशर का निरीक्षण किया गया जिसमें से 342 संचालित पाए गए और 1473 कर्मियों का डाक्टरी निरीक्षण करवाया गया इसमें से 24 कर्मी सिलिकोसिस बीमारी से पीडित पाए गए। 5 कोयला आधारित ताप विद्युत संयत्र के 1140 कर्मियों का स्वास्थ्य निरीक्षण किया गया जिसमें 9 कर्मी सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त पाए गये। 15 क्वार्टज कारखानों के निरीक्षण के दौरान 135 कर्मियों का स्वास्थ्य निरीक्षण किया गया जिसमें कोई सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित नहीं पाया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 22.11.2016 को इस नीति के अनुमोदन उपरान्त अब तक केवल 54 कर्मियों का उपचार किया गया तथा श्रम विभाग द्वारा 27.01.2017 को सोनीपत में सिलिकोसिस जागरूक अभियान चलाया गया। इस अभियान में 96,25,500 रूपये की राशि सिलिकोसिस प्रभावित कर्मियों को वितरित की गई।

(ञ) निरीक्षण अन्तर्गत कारखाना अधिनियम, 1948– क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न कारखानों में कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निरीक्षण किया जाता है। कारखानों में वर्करों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी बिन्दुओं पर जांच की जाती है। इसके उपरान्त निरीक्षण रिपोर्ट को क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा मुख्यालय पर भेज दिया जाता है। जिसमें प्रबन्धकों को लगभग एक महिने का समय उल्लघंनाओं की अनुपालना करने के लिए दिया जाता है। मुख्यालय पर मैनेजमैंट को निजी सुनवाई के लिए तीन अवसर प्रदान किये जाते हैं जिस मैनेजमैंट द्वारा सभी उल्लघंनाओं को पूरा कर दिया जाता है उसको भविष्य में सतर्क रहने की हिदायत दे दी जाती है तथा जो मैनेजमैंट उल्लंघनाओं को पूरा नहीं कर पाता उसके कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत चालान कर दिये जाते हैं। सभी निरीक्षण पारदर्शी निरीक्षण नीति के अन्तर्गत किये जाते हैं।

(त) निरीक्षण अन्तर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996– क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न कारखानों तथा निर्माणाधीन भवनों में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निरीक्षण ऑनलाईन किया जाता है। कारखानों तथा निर्माणधीन भवनों में वर्करों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बिन्दुओं पर जांच की जाती है। इसके उपरान्त निरीक्षण रिपोर्ट को क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा मुख्यालय पर भेज दिया जाता है। जिसमें लगभग एक महिने का समय उल्लघंनाओं की अनुपालना करने के लिए दिया जाता है। मुख्यालय पर मैनेजमैंट को नीजि सुनवाई के लिए तीन अवसर प्रदान किये जाते हैं जिस मैंनेजमेंट द्वारा सभी उल्लघंनाओं की अनुपालना कर दी जाती है। उसको भविष्य में सतर्क रहने की हिदायत दे दी जाती है तथा जो मैनेजमैंट उल्लंघना को पूरा नहीं कर पाता उसके भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत चालान कर दिये जाते हैं। सभी निरीक्षण पारदर्शी नीति के अन्तर्गत किये जाते हैं।

(थ) कारखाना लाईसेंस नवीनीकरण– इस बिन्दु के अन्तर्गत मैनेजमैंट द्वारा अपने कारखाने के लाईसैंस की प्राप्ति की जाती है जिसमें मैनेजमैंट द्वारा लाईसैंस फीस, बिल्डिंग प्लान आदि का ब्यौरा भरकर फार्म न0 2 को ऑनलाईन जमा करवाया जाता है जिसके उपरान्त सभी कार्यवाही पूरी होने पर कारखाने का लाईसैंस जारी कर दिया जाता है। वर्ष 2011 से आज तक यह कार्य ऑनलाईन किया जा रहा है।

(द) एकल वार्षिक रिटर्न– श्रम विभाग, हरियाणा सरकार ने नियामन का सरलीकरण करने के लिए बहुत कदम उठाये हैं जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि मौजूदा सूचना प्रोद्योगिकी को इस्तेमाल करते हुये मौजूदा कानूनों को सरल बनाया जाये। व्यापार सुधार योजना, 2016 सुगमय व्यापार जिसके औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार का अनुसरण करते हुये श्रम विभाग ने सभी श्रम कानून के तहत एकल वार्षिक रिटर्न भरने को मंजूरी दी है।

(ध) आर0टी0एस0 एक्ट के तहत समय सीमा– आदेश उद्यमियों की सुविधा के लिए विशेष रूप से समय सीमा में समय तय कर दी गई जो निम्नप्रकार से है।

विभिन्न श्रम कानून	समय सीमा
कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत कारखानों के पंजीकरण/लाईसैंस प्रदान करना	45 दिन
कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत दिये गये लाईसैंस का नवीनीकरण	45 दिन
कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत नक्शों को स्वीकृति प्रदान करना	45 दिन
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 के तहत संस्थाओं का पंजीकरण	30 दिन

7. पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक संस्थापना अधिनियम, 1958:– वर्ष 2017 के दौरान दुकानात तथा वाणिज्यिक संस्थापना अधिनियम, समस्त राज्य में लागू था। दुकानों वाणिज्यक संस्थाओ, सिनेमा तथा होटलों, जलपान गृहों का कुल योग 449659 था, जिनमें 1861364 कर्मचारी कार्य करते थे। समस्त योग में दुकानें तथा वाणिज्य संस्थापनायें 442003 व सिनेमा तथा होटल/ रैस्टोरैंन्ट 7656 आते हैं, जिनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या क्रमशः 1804170 व 57194 थी।

8. मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961:– वर्ष के अन्त तक राज्य में 128 पंजीकृत उपक्रम कार्यरत थे। मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम के अधीन वर्ष 2017 की वार्षिक विवरणी 25 उपकर्मो से प्राप्त हुई, जिनमें लगभग 2747 परिवहन कर्मचारी थे। इस वर्ष पंजीकरण/नवीनीकरण फीस के रूप में केवल 32 उपक्रमों से 14,490/– रूपये प्राप्त हुये।

9. न्यूनतम वेतन/वेतन अदायगी अधिनियम, 1948:– श्रम विभाग, श्रमिकों की आर्थिक आवश्यकताओं के प्रति सजग है। राज्य सरकार द्वारा 50 अनुसूचित रोजगारों में विभिन्न श्रेणियों के अकुशल, अर्धकुशल व कुशल श्रमिकों हेतू प्रत्येक अनुसूचित रोजगार हेतू न्यूनतम वेतन निर्धारित/संशोधित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त यदि प्रबन्धक सरकार द्वारा अनुसूचित दर से कम वेतन देता है या वेतन अदायगी में अनियमितता बरतता है तो ऐसी शिकायतें/दावे न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 20 व वेतन अदायगी अधिनियम 1936 की धारा 15(2) के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा निर्णित किये जाते हैं। वर्ष 2016 में कम वेतन देने व वेतन अदायगी सम्बन्धित मामलों के निपटान का ब्यौरा अनुबन्ध "द" पर हैं।

वेतन अदायगी अधिनियम, 1936 के अनुसार श्रमिकों का मासिक वेतन नकद अदा करना पड़ता था। श्रमिकों के वेतन का पूर्ण भुगतान और समय पर सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन लाया गया और अधिसूचित कर दिया गया है। जिसके अनुसार श्रमिकों का वेतन सीधा उनके बैंक खातों में जमा करवाना होगा। इस संशोधन से वेतन में गैर कानूनी कटौती की रोकथाम होगी और समय पर वेतन की अदायगी सुनिश्चित होगी। अतः श्रमिकों का इस सन्दर्भ में शोषण से बचाव होगा।

10. श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923:– नियोजकों से प्राप्त रिर्टनों के अनुसार राज्य की विभिन्न संस्थापनाओं में कोई दुर्घटना नही हुई। विभाग के सभी सहायक श्रम आयुक्त जो कथित अधिनियम के अन्तर्गत आयुक्त घोषित है, के पास वर्ष के दौरान जो क्लेम प्राप्त हुये तथा जिनका निपटान किया, उनका विवरण निम्न प्रकार से है:–

वर्ष के शुरू मे लम्बित क्लेमों की सख्यां	वर्ष के दौरान प्राप्त हुये क्लेमों की सख्यां	वर्ष के दौरान भुगताये गये क्लेमों की सख्यां	वर्ष के अन्त में लम्बित क्लेमों की सख्यां	क्लेमों से प्राप्त मुआवजे की राशी (रूपये में)
1764	748	791	1721	1,80,07,965 / –

11. प्रसूति सुविधा अधिनियम, 1961:– वर्ष 2017 में औद्योगिक संस्थाओं से प्राप्त रिर्टनों के आधार पर इस अधिनियम के अन्तर्गत केवल 941 महिला श्रमिकों नें प्रसूति सुविधा का लाभ उठाया।

12. बाल श्रमिक प्रथा उन्मूलन:– श्रम विभाग बाल श्रम (निषेध एंव विनियमनं) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्य करता है। जहां कही से भी बाल श्रम बारे शिकायत प्राप्त होती हैं, उस पर तत्परता स कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर child labour helpine Number भी जारी किया गया है। बाल श्रम (निषेध एंव विनियमनं) अधिनियम, 1986 का संशोधन करते हुये नया नाम बाल श्रम एंव किशोर (निषेध एंव विनियमनं) अधिनियम, 1986 कर दिया गया है। इस संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान है कि एक बालक कि आयु 14 वर्ष मानी जायेगी और उसका किसी व्यवसाय में व व्यावसायिक प्रकिया में कार्य करना पूर्णतः निषेध है। किशोर अवस्था में किसी भी खतरनाक व्यवसाय या व्यावसायिक प्रकिया में कार्य करना निषेध है। विभाग द्वारा बेसहारा बच्चों के लिये जिला पानीपत, फरीदाबाद तथा यमुनानगर में पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना की गई है। जिला फरीदाबाद का पुर्नवास केन्द्र दिनांक 26.11.2016 बन्द हो चुका है।

पानीपत व यमुनानगर के पुर्नवास केन्द्रों में बच्चों द्वारा मुफत रहने, व्यवसायिक शिक्षा एंव खाने पीने की सुविधा प्रदान की जा रही है। जिसमें वर्ष 2017 में 43 बच्चों द्वारा इसका लाभ उठा गया है।

13. न्यायालयों में चालानों की संख्या :– वर्ष के आरम्भ में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 27412 चालान लम्बित थे। वर्ष के दौरान 1572 मामलें और दायर किये गये, जिनमें से 1504 मामलों का निपटान किया गया। वर्ष, 2017 के अन्त में मुख्य दण्डाधिकारी की अदालत में 27480 मामलें लम्बित रहे।

14. राज्य चौकसी ब्यूरो से सम्बन्धित सूचनाः– विभाग में वर्ष 2017 के दौरान क्रमशः सर्व श्री पाला राम, उप श्रम आयुक्त, श्री सौरव, लिपिक के विरुद्व राज्य चौकसी ब्यूरो की ओर से जांच लम्बित है।

15. शैक्षणिक प्रशिक्षणः– वर्ष के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों को राईट टू इन्फोरमेशन एक्ट विषय पर ट्रेनिंग पर भेजा गया।

- श्री रमेश कुमार नैन, उप श्रम आयुक्त, पानीपत।
- श्री दिनेश कुमार, उंप श्रम आयुक्त, सर्कल–1, गुरूग्राम।
- श्री अनुज सहारन, सहायक श्रम आयुक्त, सर्कल–2, गुरूग्राम।
- श्री विश्वप्रीत सिंह, सहायक श्रम आयुक्त, सर्कल–2, सोनीपत।
- श्री शैलेष अहलावत, सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, रोहतक।
- श्री दिनेश कुमार यादव, सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, रेवाड़ी।

16. बोनस अदायगी अधिनियम,1965:– इस अधिनियम के अन्तर्गत घोषित निरीक्षको ने इस वर्ष 159 निरीक्षण किये 22 चालान दायर किये तथा 13 मामलों में 12,200/–रुपये जुर्माना किया गया।

17. पंजाब लेबर वैल्फेयर फण्ड एक्ट, 1965 के अन्तर्गत अवितरित राशि, अंशदान की राशि आदि की वसूली :– इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने श्रम कल्याण आयुक्त जो कि बोर्ड के पदेन कल्याण आयुक्त है कि देख रेख में श्रम कल्याण बोर्ड का गठन किया हुआ है। बोर्ड में वर्ष 2017 के दौरान 5092.70 लाख रूपये प्राप्त किये गये हैं, जिनमें से 5072.77 लाख रूपये अंशदान के रूप में, 174.72 लाख रूपये अवितरित राशि के रूप में तथा 8.41 लाख रूपये ब्याज के रूप में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं से प्राप्त किये गये जिनमें से 3028.13 रूपये की राशि लाभार्थियों पर कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च

कर दी गई है। बोर्ड द्वारा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक श्रमिकों की भलाई हेतू 22 योजनाएं चलाई जा रही है जिनमें से मुख्य योजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

(क) मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना:- श्रमिकों की कार्यस्थल पर काम करते वक्त मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये तथा अपंग होने पर 50 हजार रूपये से एक लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दिनांक 08.07.2017 से श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुये एफ0आई0आर0 दर्ज करवाने के साथ-साथ डी0डी0आर0 करवाने पर भी योजना का लाभ देने का प्रावधान कर दिया गया है। इस योजना के तहत उक्त वर्ष 2017 में 76 लाभार्थियों को 370.85 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ख) मृतक कामगारों की विधवाओं/आश्रितों को वित्तीय सहायता तथा मृतक श्रमिक के दाह संस्कार व अन्य कियाक्रम हेतू वित्तीय सहायता :- इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा दिनांक 14.09.2017 से मृतक की विधवा/आश्रित को एक लाख रूपये से बढ़ाकर दो लाख रूपये कर दी गई है व दाह संस्कार हेतू 15 हजार रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष, 2017 में 1280 मृतक श्रमिकों की विधवाओं/आश्रितों को 739.00 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) दुर्घटना या किसी अन्य कारण से अपंगता होने पर श्रमिक को वित्तीय सहायता प्रदान करने बारे :- इस योजना के अन्तर्गत 20 हजार रूपये से 30 हजार रूपये तक की वित्तीय सहायता श्रमिक को प्रदान की जाती है। वर्ष 2017 में इस योजना के तहत 22 श्रमिकों को 5.50 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(घ) कामगारों के बच्चों के लिए छात्रवृति योजना :- वर्ष, 2017 में औद्योगिक श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 8 वीं पास करने उपरान्त से अगली कक्षाओं तक जिनमें स्नात्कोतर डिग्री व सभी डिप्लोमा कोर्स सम्मिलित है, हेतू 6 हजार .रूपये से 15 हजार रूपये तक की छात्रवृति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत इस अवधि में 10465 लाभार्थियों को 595.26 लाख रूपये की छात्रवृति प्रदान की गई।

(ड़) कामगारों की लडकियों की शादी के उत्सव पर कन्यादान के रूप में वित्तीय सहायता :- इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक श्रमिकों की तीन लड़कियों तक तथा स्वयं महिला कामगार की शादी के अवसर पर बोर्ड द्वारा 51000 रूपये की राशि प्रदान की

जाती है। वर्ष 2017 में इस योजना के अन्तर्गत 1079 लाभार्थियों को 550.29 लाख रूपयें की राशि प्रदान की गई।

(च) श्रमिकों को नयी साईकल खरीदने पर बोर्ड की तरफ से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे :– उक्त योजना के अन्तर्गत औद्योगिक कामगारों को बोर्ड की तरफ से 3000 रूपये या साईकिल की वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो की राशि की अदायगी की जाती थी। दिनांक 14.09.2017 से साईकिल योजना के तहत पात्रता हेतू 10000 रूपये अधिकतम मासिक वेतन सीमा को बढ़ाकर 18000 रूपये कर दिया गया है। तथा साईकिल की खरीद उपरान्त बिल प्रस्तुत करने की शर्त को भी निरस्त कर दिया गया है। वर्ष 2017 में इस योजना के अन्तर्गत 7552 श्रमिकों को 226.50 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(छ) औद्योगिक श्रमिकों को चष्मों के लिए वित्तीय सहायता देना :– श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा उन औद्योगिक श्रमिकों को जिनकी आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाती हैं उन्हें 1000 रूपये की राशि चश्में खरीदने के लिए दी जाती है । वर्ष 2016 में इस योजना के अन्तर्गत 468 श्रमिकों को 4.58 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(ज) श्रमिकों की लड़कियों के लिए पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियां आदि खरीदने हेतू वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे :– इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों की लड़कियों को पहली से पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने हेतु 2000 रूपये व पांचवी कक्षा से आठवी कक्षा तक स्कूल की वर्दी, पाठ्य पुस्तकें तथा कापियों आदि के लिए प्रवेश के समय 3000 रूपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता केवल तीन लड़कियों तक उपलब्ध करवायी जाती है। वर्ष 2017 में इस योजना के अन्तर्गत 6434 श्रमिकों को 169.50 लाख रूपये प्रदान किए गये ।

(झ) कामगारों के अपंग/अंधे/मंदबुद्धि बच्चों को वित्तीय सहायताः– इस योजना के अंतर्गत कामगारों के उन बच्चों को 15 हजार रूपये से 20 हजार रूपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो अपंगता/अंधेपन/मंदबुद्धि का शिकार है। वर्ष, 2017 में इस योजना के अन्तर्गत 178 लाभार्थियों को 31.25 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

205

(ञ) औद्योगिक श्रमिकों के लिए एल0टी0सी0 नाम योजनाः— श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा 4 वर्ष के ब्लॉक में एक बार औद्योगिक श्रमिकों के लिए 1000 रूपये की राशि एल0टी0सी0 स्वरूप देने का प्रावधान किया गया है। दिनांक 14.09.2017 से योजना के तहत पात्रता हेतू 10000 रूपये मासिक वेतन को बढ़ाकर 18000 रूपये कर दिया गया है। वर्ष 2017 में इस योजना के अन्तर्गत 945 लाभार्थियों को 9.45 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ट) महिला कामगारों को नई सिलाई मशीन खरीदने पर वित्तीय सहायताः— इस योजना के तहत बोर्ड द्वारा महिला कामगारों को घरेलू उपयोग हेतु ब्रांडिड नई सिलाई मशीन खरीदने पर 3500 रूपये या मशीन की वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। दिनांक 14.09.2017 से सिलाई मशीन की खरीद उपरान्त बिल प्रस्तुत करने की शर्त को भी निरस्त कर दिया गया है। वर्ष 2017 में इस योजना के अन्तर्गत 1531 लाभार्थियों को 53.27 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(ठ) महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को प्रसूति पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे :— श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा महिला श्रमिकों तथा श्रमिकों की पत्नियों को दो लड़कों तथा तीन लड़कियों तक की प्रसूति पर बोर्ड की तरफ से 7000 रू0 की वित्तीय सहायता प्रति प्रसूति उपलब्ध करवायी जाती है। वर्ष 2017 में इस योजना के अन्तर्गत 2315 लाभार्थियों को 162.05 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(ड) श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को डैन्टल केयर के अर्न्तगत वित्तीय सहायता देने बारे :— श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा औद्योगिक श्रमिकों को डैन्टल केयर योजना के अन्तर्गत डैन्टल केयर हेतु 2000 रूपये तथा पूर्ण जबड़ा बदलवाने की स्थिति में 5000 रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। वर्ष 2017 में इस योजना के अन्तर्गत 872 श्रमिकों को 32.96 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

उक्त योजनाओं के इलावा बोर्ड द्वारा 3 और योजनाओं के अन्तर्गत 19 श्रमिकों के बच्चों की खेलों के प्रति प्रतिभा विकसित करने हेतू 0.75 लाख की राशि, श्रवण शक्ति खो चुके 03 श्रमिक को 0.09 लाख रूपये तथा अपंग हुए 04 श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को ट्राई साईकिल हेतू 0.20 लाख रूपये की वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की गई।

206

इसके अतिरिक्त सिलीकोसिस रोग से पीड़ित श्रमिकों के कल्याण हेतू "हरियाणा सिलीकोसिस पुर्नवास नीति" का संचालन किया गया है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2017 में 276.34 लाख रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

18. **हरियाणा भवन और अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड:–** हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड का गठन, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 18 के अर्न्तगत हुआ है। हरियाणा भवन एवम् अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड 2 नवम्बर 2006 से अस्तित्व में आया। इस बोर्ड का मुख्य उदेश्य सन्निर्माण कर्मकार को कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करना है, जैसे कि दुर्घटना होने पर तत्काल वित्तिय सहायता, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, सन्निर्माण कर्मकार की साधारण मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सुविधाएं, बुढापा पैंशन, शादी के लिए सहायता इत्यादि एवं समय–2 पर तय की गई अन्य कल्याणकारी योजनाओं का मुल्याकंन करना है।

आय का मुख्य स्त्रोत

बोर्ड की आय का मुख्य स्त्रोत नियोक्ता एवं सार्वजनिक कम्पनी से भवन बनाने की लागत पर एक प्रतिशत की दर से लिये जाने वाला सैस है। यह राशि बोर्ड द्वारा उन कर्मकार जो राज्य में सन्निर्माण गतिविधियों में लगे हुए है उन पर कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए खर्च किया जाता है।

वर्तमान में बोर्ड द्वारा निर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। 01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं पर हुए खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

(क) मातृत्व लाभ :– इस स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक को उसके प्रसव पर 30,000/– रूपये तक की मातृत्व वित्तिय सहायता एवं 6000 रूपये पौष्टिक आहार के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता दो बच्चो के जन्म तक दी जाती है। लेकिन बच्चों के कम को न देखते हुये तीन लड़कियों तक यह सहायता दी जाती है। उपरोक्त अवधि के दौरान 934 पंजीकृत महिला कामगारों को 3.59 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(27)

(ख) पितृत्व लाभः– नवजात षिषु की उचित देखभाल के लिए 15,000/– रूपये तक की वित्तीय सहायता एवं पंजीकृत श्रमिक की पत्नी के लिए पौष्टिक आहार हेतू 6,000/– रूपये की सहायता हेतू कुल 21,000/– रूपये पितृत्व लाभ के रूप में दिये जाते हैं। उपरोक्त अवधि के दौरान 918 पंजीकृत पुरूष कामगारों को 1.92 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ग) छात्रवृति योजनाः– पंजीकृत के आश्रित बच्चे जो पहली कक्षा से स्नात्कोतर में पढ़ रहे हैं। उनको 3000 रूपये से लेकर 12000 रूपये तक वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत मजदूर के जो बच्चे मैडिकल, इंजीनिरंग, प्रबंधन, एम0सी0ए0, कानूनी फैशन डिजाईनिंग इत्यादि की शिक्षा सरकारी संस्थाओं/कॉलेज/विश्वविद्यालय/आई0 आई0 टी0/आइ0 आई0 एम0/एम्स/एन0आई0टी0 इत्यादि से ग्रहण कर रहे हैं, उनके पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति भी बोर्ड द्वारा की जाती है इसके साथ–साथ मेधावी विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रूपये से कम है, उनको विशेष वित्तीय सहायता के रूप में मैरिट के आधार पर 250 लड़कों एवं 500 लड़कियों का होस्टल खर्च भी बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है। उपरोक्त अवधि के दौरान 20703 पंजीकृत कामगारों को 9.79 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(घ) कन्यादान योजनाः– इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत कामगार की लड़की की शादी पर 51000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। उपरोक्त अवधि के दौरान 6775 पंजीकृत कामगारों को 39.07 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ड़) साईकिल स्कीमः– इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत कामगार को साईकिल खरीदने हेतू 3000 रूपये की सहायता दी जाती है ताकि कामगार को अपने रोजमर्रा के उपयोग एवं कार्य पर आने जाने की सुविधा हो सके। यह सुविधा 3 वर्ष में एक बार दी जाती है। उपरोक्त अवधि के दौरान 24327 पंजीकृत कामगारों को 8.73 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(च) सिलाई मशीन योजनाः– इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत महिला कामगार को सिलाई मशीन खरीदने हेतू 3500 रूपये की सहायता दी जाती है। यह सुविधा पूरे कार्यकाल में एक ही बार दी जाती है, उपरोक्त अवधि के दौरान 24327 पंजीकृत महिला कामगारों को 8.73 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(छ) औजार (टूल किट) खरीदने हेतू उपदानः— इस स्कीम के अंतगर्त पंजीकृत निर्माण कामगार को तीन वर्ष में एक बार नये औजार खरीदने हेतू 5000 रूपये की सहायता दी जाती है। उपरोक्त अवधि के दौरान 20448 पंजीकृत कामगारों को 11.58 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ज) मुख्यमंत्री समाजिक सुरक्षा योजनाः— इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत मजदूर की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बोर्ड द्वारा उनके नामांकित/उत्तराधिकारी को 5 लाख रूपये की सहायता दी जाती है एवं पंजीकृत कामगार की साधारण मृत्यु पर एक लाख रूपये तक की सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त 15000 रूपये की वित्तीय सहायता दांह संस्कार के लिए दी जाती है। उपरोक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 3030 पंजीकृत कामगारों एवं 6 अपंजीकृत कामगारों को 36 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(झ) मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजनाः— इस स्कीम के अतंर्गत पंजीकृत महिला कामगार को उनकी सदस्यता के नवीनीकरण पर साड़ी, सूट, चप्पल, रेन—कोट, छाता, स्वास्थ्यप्रद नैपकिन, कीचन के बर्तन आदि की खरीद करने के लिए 5100/—रूपये की सहायता दी जाती है। उपरोक्त अवधि के दौरान 24413 पंजीकृत महिला कामगारों को 157.37 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त पैंशन, परिवारिक पैंशन, चिकित्सा सहायता, अपंगता सहायता योजना इत्यादि के अंतर्गत पंजीकृत कामगारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उपरोक्त अवधि के दौरान 262 पंजीकृत कामगारों को 21.75 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

कुल स्थिति

1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 की अवधि के दौरान 337.55 करोड़ रूपये का सैस एकत्रित किया गया एवं 119.79 करोड़ रूपये 1,32,217 लाभार्थियों पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत खर्च किये गये हैं ।

19. **बजटः—** वर्ष 2017—18 की बजट सम्बन्धी सूचना अनुबन्ध "एफ" पर उदृत है ।

29

अनुबन्ध "द"

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 20(2) के अन्तर्गत कम वेतन देनें तथा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 15(2) के अन्तर्गत वेतन विलम्ब से अथवा न देने सम्बन्धी दावों का ब्यौरा :–

क्र0 सं0	अधिनियम का नाम	वर्ष के आरम्भ में लम्बित दावों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त हुये दावों की सख्यां	वर्ष के दौरान निपटाये गये	वर्ष के अन्त में लम्बित	दावों के फलस्वरूप श्रमिकों को दी जाने वाली राशि (रूपये में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936.	1318	2113	1470	1961	55,55,107/–
2.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948.	98	152	79	171	16,90,741/–

....

2[illegible]

ANNEXURE-'F'/ अनुबन्ध–'एफ'

Detail of the Budget and expenditure of Haryana Labour Department allocated during the year 2017-18 under the Head 2230-Labour & Employment. (In lacs)

I) NON PLAN SCHEMES				Amt. in Lacs
SR. No.	**Non Plan Schemes**	**Budget Estimates 2017-18**	**Revised Estimates 2017-18**	**Expenditure December, 2017**
1.	001-98-51-R-V-Implementation of Recommendation of Haryana Goverance Reform Authority (HGRA)	1.00	1.00	0.00
2.	001- Direction and Administration [99] Headquaters Staff	460.02	399.89	303.35
3.	001-Information Technology 99-99-Headquarter Staff	3.00	1.00	0.29
4.	004 Research & Statistics [99] Research & Statistics Cell	65.79	58.05	40.04
5.	101- Industrial Relation, Industrial Tribunal-cum-Labour Courts, 98-Industrial Tribunal/Labour Court, Faridabad, Rohtak and Ambala.	807.40	689.70	521.49
6.	101- Industrial Relations [99] Industrial Relation	2018.19	1866.09	1459.33
7.	102-Working conditions and safety (a) Health 95-Health.	1009.00	852.51	645.84
8.	102-Working conditions and safety (a) Inspection 96- Inspection.	158.42	108.24	75.50
9.	103- General Labour Welfare[99] Setting up of Labour Welfare Centre	97.33	54.35	38.06
10.	113- Improvement in working Conditions of Child /Women Labour [99] Direction & Administration	55.20	24.60	12.24
	Total	**4675.35**	**4055.43**	**3096.14**

(211)

II) Non-Recurring Schemes				Amt. in Lacs
	Name of the Schemes	Budget Estimates 2017-18	Revised Estimates 2017-18	Exp. Upto December, 2017
1.	102-working condition and Safety (a) Inspection 92-Establishing two Industrial Hygiene loboratories (IHL) at Gurugram & Faridabad	40.00	10.00	3.55
2.	102-working condition and Safety (a) Inspection 93- Providing of mobile vans for facilitating the health care of workers working in factories(P)	30.00	19.00	10.65
3.	102-working condition and Safety (a) Inspection 94- Setting up of Major Accident Hazard Control Cell (P)	0.00	0.00	0.00
4.	102-working condition and Safety (a) Inspection 98- Strengthening of safety and health inspection in factories	4.00	2.50	0.11
5.	113-Improvement in working Conditions of Child/Women (P) 97- Rehabilitation of Destitue and Migrant Child Labour (P)	70.00	59.00	41.81
6.	113-Improvement in working Conditions of Child/Women 98- Setting up of Child Labour Cell for implementation of National Prog. Of Elimination of Child Labour	9.50	5.00	0.98
7.	800-Other Expenditure 98-99-Computerization of Labour Department	15.00	12.00	6.12
8.	800-99-99 Computerization of Information Technology	150.00	90.00	42.10
9.	201-Labour [97]- Purchase of Plot for Construction of Labour Court Complexes.	200.00	0.00	0.00
10	112-Rehabilitation of Bonded Labour (50:50 sharing basis) 99- Rehabilitation of Bonded Labour i) Rs. 250000-SS ii)Rs. 250000-CS Total 500000	5.00	0.00	0.00
11	201-Labour [96]- for construction of Labour Court Complex	300.00	300.00	208.57
	Total	**823.50**	**497.50**	**313.89**